

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-1149/1/सा.प्र.वि./2021/1725

भिलाई, दिनांक 11-11-2021

// आदेश //

श्रीमती शकुंतला बाई पति स्व.अजीपाल, मजदूर की अधिवार्षिकी आयु दिनांक 12.12.2021 को 62 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 56 के अनुसार माह की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2021 अपरान्ह को नगर पालिक निगम, भिलाई से सेवानिवृत्त किया जाता है।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई

भिलाई, दिनांक 11-11-2021

पृ.क्र./एफ- /1/सा.प्र.वि./2021/1726

प्रतिलिपि :-

1. प्रशासक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. अधीक्षण अभियंता डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त 1/2, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सहायक अधीक्षक भविष्य निधि शाखा, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
10. श्रीमती शकुंतला बाई पति स्व.अजीपाल, मजदूर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम

भिलाई